संख्या 599/XVII-1-2005 [illegible]/2005

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-[illegible] देहरादून 10 [illegible] 2005

विषय :अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, [illegible] के पत्र संख्या-2125/कौशल वृद्धि/2004-05 दिनांक 25 फरवरी 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कौशल वृद्धि योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण देने के लिए दी जाने वाले अनुदान के सापेक्ष राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सी द्वारा वहन की जाने वाली 15 प्रतिशत की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है ताकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए [illegible] रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वाली लागत को 85 प्रतिशत तक की धनराशि अनुदान के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदान की जाएगी।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण – केवल केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकार के संस्थान, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय प्रतिष्ठित विस्तार संस्थानों अथवा केन्द्र सरकार के [illegible] सोसाइटी से प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अग्रसारित किया जाएगा।

ऐसे प्रशिक्षण संस्थान प्रस्ताव के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में सूचना अर्थात पाठ्यक्रम विवरण, प्रशिक्षण की अवधि, पाठ्यक्रम मान्यता प्रमाणपत्र के साथ-2 संस्थान के मुख्य कार्यों का विवरण, पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, उप नियमों एवं स्मृतिपत्र की प्रतियां, पंजीकरण का प्रमाणपत्र तथा पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान को उम्मीदवारों की सूची चयन के उपरान्त निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीदवारों का चयन जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें संस्थान का प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा।

प्रशिक्षण शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 से 3[illegible] वर्ष के मध्य हो तथा [illegible] का स्तर कम से कम इण्टरमीडिएट हो।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से स्वीकृति के उपरान्त, [illegible] धनराशि उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम को आवन्टित की जायेगी। प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण हेतु दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि [illegible] भुगतान नहीं की जायेगी, [illegible] धनराशि पाठ्यक्रम के सन्तोषपूर्ण ढंग से पूर्ण होने के पश्चात भुगतान की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या .... (1)/XVII(1)-1/2005-14(बजट)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।